छात्रवृत्ति

महाविद्यालय में केन्द्र तथा प्रदेश सरकार के द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग तथा दिव्यांग वर्ग की छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध है। अल्पसंख्यक वर्ग की जिन छात्राओं ने इण्टरमीडिएट तथा स्नातक परीक्षा में 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये हैं और उनके अभिभावकों की वार्षिक आय दो लाख रूपये है। उन्हें केन्द्र सरकार से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। अल्पसंख्यक वर्ग की जो छात्राएँ केन्द्र सरकार की छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करेंगी वे प्रदेश सरकार की किसी भी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगी। छात्रवृत्ति हेतु अधिकतम आय सीमा अनूसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग एवं केन्द्र सरकार की छात्रवृत्ति के लिए दो लाख रूपये वार्षिक है। छात्रवृत्ति के मानक शासन के अनुसार मान्य होंगे।

छात्रवृत्ति की सभी पात्र छात्राएं छात्रवृत्ति का निर्धारित आवेदन पत्र ऑनलाइन भरकर किसी भी राष्ट्रीयकृत अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बाराबंकी में खाता खोलकर खाता संख्या अपने छात्रवृत्ति आवेदन पत्र पर यथास्थान अंकित करेंगी।

1. छात्रवृत्ति फार्म अर्ह छात्राओं की छात्रवृत्ति की वेबसाइट पर निर्धारित तिथि के अन्तर्गत ऑनलाइन भरना होगा।
2. छात्रवृत्ति फार्म भरने के उपरान्त उसकी दो प्रतियाँ निकलवाकर एक प्रति महाविद्यालय में जमा करनी होगी। जिसमें आय प्रमाण पत्र की छायाप्रति निम्नांकित प्रमाण पत्रों के साथ जमा करना होगा। जो निम्न है –
3. छात्रवृत्ति फार्म की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखनी होगी।
4. चालू वित्तीय वर्ष 2024–2025 से छात्राओं के आवेदन पत्र आधार नम्बर ऑनलाइन वेरीफिकेशन के पश्चात् सब्मिट किये जाने की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही आधार बेस्ड भुगतान की प्रक्रिया भी इस वर्ष से प्रारम्भ की जाएगी। आधार बेस्ड भुगतान की प्रक्रिया के अन्तर्गत छात्राओं के आधार नम्बर से लिंक/सीटेड बैंक खाते में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि की अंतरित की जाएगी। छात्राओं का बैंक खाता जिस बैंक में खुला होगा वह बैंक पी0एफ0एम0एस से मैच होना चाहिए।
5. छात्राओं द्वारा भरें गए आधार नम्बर, छात्रा का नाम, पिता/पति का नाम व लिंक तथा जन्मतिथि का सत्यापन होने के पश्चात आधार नम्बर से लिंक मोबाइल नम्बर पर ओ.टी.पी. भेजा जाएगा। उक्त ओ.टी.पी. को आवेदन पत्र में भरने की उपरान्त आवेदेन पत्र सब्मिट किया जा सकेगा। आधार नम्बर से लिंक/सीटेड बैंक खाते में ही छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि अंतरित होगी। यदि आधार नम्बर से अभ्यार्थी का कोई बैंक खाता लिंक नही है तो छात्रवृत्ति का भुगतान नियमानुसार संभव नही हो सकेगा।

उपरोक्त प्रकार की कार्यवाही किये जाने हेतु छात्राओं के स्तर पर निम्न कार्यवाही किया जाना है।

1. सभी छात्राओं के पास आधार कार्ड उपलब्ध होना चाहिए, जिन छात्राओं के पास आधार कार्ड नही हैं उन्हे प्रत्येक दशा में आधार कार्ड बनवा लेना चाहिए ।

2. जिन छात्राओं के पास आधार उपलब्ध हैं वे आधार नम्बर को अपने मोबाइल एवं राष्ट्रीकृत/निजी/ग्रामीण बैंकों में खुले बैंक खातों से लिंक/सिटेड करा लेना चाहिए।
3. हाईस्कूल अंक पत्र/प्रमाण पत्र में अंकित अपना नाम तथा अपने माता–पिता/पति के नाम के अनुरूपम की आधार कार्ड में अपना व माता–पिता/पति का नाम अपटेड करा लेना चाहिए।
4. हाईस्कूल अंक पत्र/प्रमाण–पत्र में अंकित जन्म तिथि को आधार कार्ड में अपडेट करा लेना चाहिए।
5. आधार कार्ड में यदि लिंग (जेण्डर) गलत है तो उसको शुद्ध करा लेना चाहिए।

आवश्यक संलग्नक

1. आय प्रमाण–पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गमित फोटोप्रति एवं इण्टरनेट प्रति) स्वप्रमाणित।
2. जाति प्रमाण–पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गमित फोटोप्रति एवं इण्टरनेट प्रति) स्वप्रमाणित।
3. सामान्य निवास प्रमाण–पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गमित फोटोप्रति एवं इण्टरनेट प्रति) स्वप्रमाणित।
4. वर्तमान निवास के प्रमाण–पत्र की छायाप्रति (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गमित फोटोप्रति एवं इण्टरनेट प्रति) स्वप्रमाणित।
5. हाईस्कूल का प्रमाण पत्र एवं पिछली उत्तीर्ण कक्षा का अंकपत्र (स्वप्रमाणित)
6. बैंक पासबुक की फोटोप्रति (स्वप्रमाणित)
7. छात्रा के माता–पिता अथवा अभिभावक द्वारा 10 रूपये के स्टाम्प पेपर पर गत वर्ष गैप (अन्तराल) होने का शपथ–पत्र की मूल प्रति।
8. यदि छात्रा हॉस्टल में रहती है तो हॉस्टल द्वारा प्रदान की गई शुल्क की रसीद की प्रति स्वप्रमाणित एवं आधार कार्ड की स्वप्रमाणित फोटो प्रति
9. शुल्क रसीद की फोटोप्रति स्वप्रमाणित।
10. विश्वविद्यालय नामांकन संख्या (बी0ए0 एवं बी0एस0सी0 प्रथम वर्ष को छोड़कर) छात्रवृत्ति आवेदन फार्म में अंकित करना अनिवार्य है।

नोट – अधूरे आवेदन पत्र पर छात्रवृत्ति के लिए विचार नहीं किया जायेगा।

छात्रवृत्ति के नोडल अधिकारी

छात्राओं की सुविधा के लिए निम्नलिखित प्राध्यापिकाओं को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। नोडल अधिकारी का दायित्व होगा कि प्रत्येक छात्रा के आवेदन–पत्र की जाँच करने के बाद ही उनकी सूची तैयार करें तथा छात्रवृत्ति की पात्र छात्राओं का नाम पूरे विवरण तथा खाता संख्या के साथ तिथिवार रजिस्टर पर अंकित करें।

छात्रवृत्ति की नोडल अधिकारी प्राध्यापिकाएँ -

1.	श्रीमती उर्मिला देवी	अन्य पिछड़ा वर्ग
2.	डॉ0 सिफत्तुज़ जहेरा जैदी	अल्पसंख्यक वर्ग
3.	डॉ0 स्मिता सक्सेना	सामान्य वर्ग
4.	डॉ0 सुमन वर्मा	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति